संचिका संख्या– 2/1- लेखा/ वाहन/ (क्रय) /प्रा0–02/2012......129....../प्रा0

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

D-ब्लॉक, 5वाँ तल, सरदार पटेल, पटना–800023

वाहन नीलामी हेतु निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के साथ सम्बद्ध 01 टाटा सफारी वाहन की नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूर्वा0 11.30 बजे की जायेगी। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने के स्थिति में पुनः दिनांक 10.02.2026 को पूर्वा0 11.30 बजे किया जायेगा।

नीलामी हेतु वाहन कि विवरणीः–

क्र.सं.	वाहन निबंधन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	चेचिस संख्या	इंजन संख्या	वाहन की निबंधन के वैधता की अन्तिम तिथि	मोटर यान निरीक्षण से प्राप्त न्यूनतम मूल्य निर्धारण	वाहन निरीक्षण स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BR01PB4301	SAFARI MINOR	2012	MAT403713BND06104	22LDICOR06DYYJ08828	07-02-2027	2,25,000/-	Sardar Patel Bhawan, Parking

<u>नीलामी हेतु नियम एवं शर्तेः–</u>

1. उक्त वाहनों की नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर प्राधिकरण कार्यालय, पटना द्वारा गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
3. उपरोक्त विवरणी के स्तम्भ 8 में अंकित राशि को वाहन का सुरक्षित मूल्य माना गया है। सुरक्षित मूल्य राशि से कम पर बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को **अनुलग्लक–A** में अंकित घोषणा पत्र हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा।
5. नीलामी में भाग लेने हेतु वाहन के सुरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत (56,250/–रूपया) अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग ले सकते हैं। अग्रधन जमा करने की समय सीमा नीलामी हेतु निर्धारित तिथि से 02 (दो) दिन पूर्व तक होगी । अग्रधन SECRETARY, BSDMA के नाम से बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना होगा। असफल बोली वाले व्यक्ति को अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
6. नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को दो दिन के अंदर बोली की राशि एक ही किश्त में बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. उच्चतम बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा राशि एक मुश्त जमा करने में विफल होने की स्थिति में उनके अग्रधन की राशि को जप्त कर ली जायेगी। इसके निर्णय हेतु अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

8. यह माना जाएगा कि भाग लेने वाले व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पहले वाहन का पूर्ण निरिक्षण कर लिया गया है। वाहन सौंप देने के उपरांत नीलामीकर्ता वाहन संबंधी किसी भी प्रकार के दोष अथवा शिकायत के लिए जिम्मेवार नही होगा।

9. सफल बोलीदाता को अपने प्रयोजन के लिए वाहन प्राप्त कर लेने के नियमों के अनुसार अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपने नाम पर वाहन को स्थानांतरित कराना होगा। नीलामीकर्ता वाहनों के पंजीकरण के लिए किसी भी तरह से संबंधित या जिम्मेदार नही होगा और सफल व्यक्ति को वाहन सौंपने के उपरांत इसका कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।

10. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय नीलामी की प्रक्रिया रोकने/किसी वाहन अथवा सम्पूर्ण वाहन की बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा नीलामी को रद्द करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी में सुरक्षित रहेगा तथा अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

11. किसी भी व्यक्ति अथवा निविदादाता द्वारा नीलामी के समय नीलामी प्रक्रिया में व्यवधान पहुँचाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. इसकी जानकारी प्राधिकरण के वेबसाईट http://www.bsdma.org/ पर भी देखा जा सकता है।

13. वाहन का निरिक्षण अथवा नीलामी से संबंधित जानकारी प्रत्येक कार्य दिवस को प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

15. Annexure-A (जमानत की राशि करने का प्रारूप)

(क) बोली लगाने वाले का नाम..

(ख) पहचान पत्र..

(ग) बोली लगाने वाले का पता..

(घ) दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०..

क्र0	वाहन का विवरण	वाहन की संख्या	ड्रॉफ्ट संख्या	ड्रॉफ्ट की तिथि
1	2	3	4	5

15/01/2016

(मो० वारिस खान)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner